



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062021-227841
CG-DL-E-24062021-227841

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2311]
No. 2311]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 23, 2021/आषाढ़ 2, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 23, 2021/ASHADHA 2, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जून, 2021

का.आ. 2489(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3871(अ) तारीख 28.10.2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कडापा जिले में NH67 के कि.मी. 562/0 से कि.मी. 564/0 (हुब्ली - कृष्णापट्टनम सेक्शन) तक के भूखण्ड के निर्माण, (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "12.11.2020" को "दा हिन्दू" और "प्रजासक्ती" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग-६७ के हुब्ली-कृष्णापट्टनम सड़क के किमी. ५६३ / २ (रेलवे किमी. १०८ / १८६) पर जममलमडुगु - प्रोद्दातुर रेलवे खंड एल सी १७ के स्थान पर ४ लेन आरओबी के निर्माण के लिए ढांचों सहित अथवा ढांचों के बिना आदिग्रहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: कडापा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: प्रोद्दातुर					
गांव का नाम: बोल्लावरम					
1	337 / 1B1B	निजी(पट्टा)	गवर्नमेंट ड्राई	0.0364225	रेलवे डिपार्टमेंट (३३७ / १बी१बी)
2	337 / 2C1B	निजी(पट्टा)	गवर्नमेंट ड्राई	0.0890328	मिट्टा सुब्बारायुडू अंड अन्य (३३७ / २सी१बी)
3	338 A/ 1A2	निजी(पट्टा)	इनाम ड्राई	0.0242817	उम्माडीसेट्टी भया लक्ष्मी अंड अन्य (३३८ ए / १ए२)
4	338A / 2A2	निजी(पट्टा)	इनाम ड्राई	0.0890328	रेलवे डिपार्टमेंट (३३८ ए / २ए२)
5	340 / 1A2	निजी(पट्टा)	गवर्नमेंट पोरंबोकु	0.0526103	रेलवे डिपार्टमेंट (३४० / १ए२)
गांव का नाम: पेद्दासेट्टीपल्ली					
6	81 A / 2A2	निजी(पट्टा (इनाम))	इनाम ड्राई	0.1173614	लालवैगारी रसूल बी (८१ ए / २ए२)
7	81 A / 3A2	निजी(पत्ता इनाम)	इनाम ड्राई	0.0607042	पेन्जुरु सुब्बारायुडू अंड अन्य (८१ ए / ३ए२)

8	82 / 1B	निजी(पट्टा)	इनाम ड्राई	0.0242817	ताटीगल्ला श्रीधर (८२ / १ बी)
			कुल	0.4937	

[फा. सं. RW/NH-12014/AP(13)/16-S&R(B)pt/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd June, 2021

S.O. 2489(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O. 3871(E) dt:28.10.2020 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (Widening / four-laning etc.), maintenance ,management and operation of National Highway No. 67 on the stretch of land from Km. 562/0 to Km. 564/0 (Hubli - Krishnapatnam Section) in the district of Kadapa in the state of Andhra Pradesh.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu (English)” and “Prajasaakthi (Telugu)” both dated 12.11.2020 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received from any person by the competent authority

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure construction of Four lane ROB at Km. 563/2 (Railway Km. 108/186) of Hubli - Krishnapatnam road NH-67 in lieu of L.C No. 17 of Jammalamadugu - Proddatur Railway section in the state of Andhra Pradesh.

State: ANDHRA PRADESH			District: Kadapa		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Proddatur				
	Village: Bollavaram				
1	337 / 1B1B	Private(PATTA)	GOVERNMENT DRY	0.0364225	RAILWAY DEPARTMENT 337 / 1B1B
2	337 / 2C1B	Private(PATTA)	GOVERNMENT DRY	0.0890328	MITTA SUBBARAYUDU AND OTHERS 337 / 2C1B

3	338 A / 1A2	Private(PATTA)	INNAM DRY	0.0242817	UMMADISETTI BHAYA LAKSHMI AND OTHERS 338 A / 1A2
4	338A / 2A2	Private(PATTA)	INNAM DRY	0.0890328	RAILWAY DEPARTMENT 338 A / 2A2
5	340 / 1A2	Private(PATTA)	GOVERNMENT PORAMBOKU	0.0526103	RAILWAY DEPARTMENT 340 / 1A2
Village: Peddasettipalli					
6	81 A / 2A2	Private(PATTA (INAM))	INNAM DRY	0.1173614	LALUBAIGARI RASOOL BEE 81 A / 2A2
7	81 A / 3A2	Private(PATTA (INAM))	INNAM DRY	0.0607042	PENJURU SUBBARAYUDU AND OTHERS 81 A / 3A2
8	82 / 1B	Private(PATTA)	INNAM DRY	0.0242817	TATIGALLA SREEDAR 82 / 1 B
			TOTAL	0.4937	

[F. No. RW/NH-12014/AP(13)/16-S&R(B)pt/3D2]

RAJESH GUPTA, Director